



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

RBI/2016-17/185

DPSS CO.PD.No.1516/02.12.004/2016-17

डिसेम्बर 16, 2016

चेयारम्यान एवंग प्रबन्धिक निर्देशक/ मूख्य कार्यानिर्वाही आधिकारिक

तत्काल अर्थप्रदान परिषेवा (आईएमपिएस), एकत्रीकृत अर्थप्रदान व्यवहारक्षेत्र (ईउपिआई) एवंग अगठित अतिरिक्त परिषेवा संक्रान्त डेटा (ईउएसएसडि)-निर्भर *99# व्यवस्थाय अंशग्रहणकारी सकल संस्थामूह

माननीय महाशया/ महाशय,

मार्च 31, 2017 पर्यन्त विशेष पदक्षेपः तत्काल अर्थप्रदान परिषेवा (आईएमपिएस), एकत्रीकृत अर्थप्रदान व्यवहारक्षेत्र(ईउपिआई) ओ अगठित अतिरिक्त परिषेवा संक्रान्त डेटा (ईउएसएसडि)

दृष्टव्य नडेश्वर 08, 2016 तारिखाङ्कित Circular No.DCM (Plg) No.1226/10.27.00/2016-17 अनुसारे विद्यामान ₹ 500/- एवंग ₹ 1000/- व्याङ्कनोटेर (विशेषभावे उल्लेखित व्याङ्क नोट- एसविएन) वैध टेंडार चरित्र प्रत्याहारेर सूत्र धरे, सरकार व्यवस्थास संक्षे जडित विभिन्न अंशेर संक्षे आलोचलार पर समाजेर वृहन्तर अंशेर मध्ये डिजिटल अर्थप्रदान व्यवस्थास ग्रहणयोग्यता व्यापकतर करते उंसहप्रदानेर (इनसेन्टिभाइज) पदक्षेप ग्रहण करे चलेछे। अस्थायी पदक्षेप हिसावे, एइ सिद्धान्त ग्रहण करा हयेछे ये तत्काल अर्थप्रदान परिषेवा (आईएमपिएस), ईउएसएसडि-निर्भर *99# एवंग एकत्रीकृत अर्थप्रदान व्यवहारक्षेत्र (ईउपिआई) व्यवस्थास माध्यमे ₹ 1000 पर्यन्त लेनदेन सम्पन्न करार जन्य सकल अंशग्रहणकारी व्याङ्क एवंग प्रिपेड पेमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट(पिपिआई) जारि करा संस्था ग्राहकदेर काह थेके कोनओ मांशुल धार्य करवे ना।

2. उपरोक्त पदक्षेपगुलि जानुयारि 1, 2017 थेके कार्यकारी हवे एवंग मार्च 31, 2017 पर्यन्त प्रयोज्य थाकवो मध्यवर्ती समये, व्यवस्थास संक्षे जडित संश्लिष्ट अंशगुलिर द्वारा उपरोक्त प्रणालीगुलिर अधीने मांशुल संक्रान्त विषये पर्यालोचना करते भारतीय रिजार्ड व्याङ्क सहायता करवो।

3. पेमेन्ट अ्यान्ड सेटेलमेन्ट सिस्टेमस अ्याक्ट, 2007 (2007-एर अ्याक्ट 51) धारा 10(2) तंसह पठित धारा 18-एर अधीने आदेशविधिंति जारि करा हला।

आपनार विश्वन्त

(नन्दा एस. दाडे)

मूख्य महा प्रबन्धिक